

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

क्रमांक :- रीडर/2024/438

दिनांक :- 31.05.2024

प्रेषिति :- तहसीलदार (भू.अ.)
टिब्बी।

विषय :- प्रकरण संख्या 023/2020 दौलतराम बनाम् अमरपति आदि
आदि अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. में पारित निर्णय दिनांक
31.05.2024 की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि प्रार्थीगण सन्तलाल व जसवन्त पि०
दौलतराम जाति सुथार निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ द्वारा इस
न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. प्रस्तुत करने पर प्रकरण में
दिनांक 31.05.2024 को निर्णय पारित किया गया।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक
नम्बर 10 डी.बी.एल. के पत्थर नम्बर 185/354(33) के किला नम्बर 16/1/0.228 में
पूर्वी हिस्सा में 0.0154 हैक्टर (करीब सवा दस फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा) दक्षिण से
उत्तर तथा किला नम्बर 25/2/0.203 हैक्टर आराजी के पूर्वी दिशा की ओर 0.0154
हैक्टर (करीब सवा दस फुट चौड़ा व 148.5 फुट) लम्बा दक्षिण से उत्तर व किला नम्बर
15/1/0.228 हैक्टर आराजी के दक्षिणी पूर्वी कोने में 0.0022 हैक्टर (करीब सवा दस
फुट चौड़ा व सवा तेईस फुट लम्बा) दक्षिण से उत्तर रास्ता स्वीकृत कर रास्ते की भूमि
के बदले प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने पर सहमत हुए है तथा उक्त रास्ता के बदले में
प्रथम पक्ष के सन्तलाल की आराजी पत्थर नम्बर 185/354 के किला नम्बर 15/1/0.
228 हैक्टर आराजी के दक्षिणी-पूर्वी कोने में स्वीकृत रास्ता की आराजी को छोड़कर
दक्षिणी हिस्सा की 0.0314 हैक्टर आराजी अप्रार्थीगण के नाम ब०हि०ब० अंकन किये
जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।



(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

